

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :-269 / 2024

नेपाल सिंह सारंग देवोत

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (Hoff), वन भवन, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर, जोन उदयपुर।
4. उप वन संरक्षक, चित्तोड़गढ।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 29.08.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रमेन्द्र बोहरा, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण आदेश दिनांक 20.02.2024 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया था। इस अपील में अपीलार्थी ने कार्य मुक्ति आदेश दिनांक 21.07.2024 (अनुलग्नक-2) को भी चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को अपनी उपस्थिति वन बन्दोबस्त कार्यालय उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा के लिए कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि स्थानांतरण आदेश जारी होने के 6 माह पश्चात कार्यमुक्ति आदेश जारी किया गया है, जिससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी के संबंध में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं रही है। ऐसे में अब स्थानांतरण आदेश की पालना करवाई जाना उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण एवं कार्य मुक्ति आदेश को निरस्त किया जाए।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के संबंध में स्थानांतरण आदेश पारित होने के पश्चात चुनाव कार्यक्रम घोषित होने पर आचार संहिता लागू की गई थी। इस कारण से अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया था। वर्तमान में अपीलार्थी को आचार संहिता समाप्ति के पश्चात कार्यमुक्त किया गया है। अपीलार्थी को देरी से कार्यमुक्त किए जाने का समुचित आधार मौजूद है। हम अपीलार्थी को देरी से कार्यमुक्त किए जाने के आधार पर प्रशासनिक आवश्यकता समाप्त हो जाना नहीं पाते हैं।
5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)